प्रकरण संख्या :-318/2022
प्रकरण निर्णय दिनांक:-05.09.2023

उनवान- भानूप्रताप सिंह बनाम मूलसिंह वगै.
दावा स्थायी निषेधाज्ञा

"प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 एवं धारा 151 जा. दी."

निर्णय दिनांक 05.09.2023

प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 जा.दी. पेश किया कि वादी ने वादपत्र के पैरा नं. 02 में कथन किया है कि उक्त भूमि मुतदाविया में वादी अपने पूर्व के विक्रयशुदा भूमि को प्रतिवादी सं. 01 से खरीदना चाहता है। लेकिन प्रतिवादीगण के मन में बददेहान्ति पैदा हो गयी जो कि उक्त भूमि मुतदाविया को किसी दीगर व्यक्तियों को बेचने पर आमादा है। इसलिए वादी को यह वाद पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। उक्त वाद विधि द्वारा वर्जित है। कानूनन वादपत्र का श्रवणाधिकार न्यायालय हाजा को प्राप्त नहीं है। भूमि वादग्रस्त के प्रतिवादीगण रिकार्डेड काबिज काश्त खातेदार हैं। वादी ने उपरोक्त वादपत्र तथ्यों को छुपाकर, मिथ्या कथन दर्ज करते हुए, न्यायालय को गुमराह करने की मंशा से पेश किया है। कानूनन प्रतिवादीगण के विरूद्ध दावा चलने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर दावा वादी खारिज फरमाया जावे। वादी वकील ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं कर प्रार्थना पत्र पर बहस करना चाहा। प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष वकील बहस सुनी गयी। प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण वकील ने बहस में प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 जा.दी. में वर्णित तथ्यों का दोहरान किया तथा बहस में न्यायिक दृष्टान्त दौला बनाम शीशराम आर आर डी-14.12.2019 का उल्लेख करते हुए वादी वाद विधि द्वारा वर्जित होने के कारण खारिज किये जाने का निवेदन किया। वादी वकील ने बहस में कथन किया कि भूमि मुतदाविया वादी एवं प्रतिवादी सं. 01 की सहखातेदारी भूमि रही है, जिसमें वादी ने अपने हिस्से की भूमि को प्रतिवादी सं. 01 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विक्रय कर दिया है, उसके बाद उक्त भूमि मुतदाविया प्रतिवादी सं. 01 व 02 के नाम रही है। उक्त भूमि मुतदाविया में वादी अपने पूर्व के विक्रयशुदा भूमि को प्रतिवादी सं. 01 से खरीदना चाहता है। लेकिन प्रतिवादीगण के मन में बददेहान्ति पैदा हो गयी जो कि उक्त भूमि मुतदाविया को किसी दीगर व्यक्तियों को बेचने पर आमादा है। इसलिए वादी को यह वाद पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। अतः प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने बहस उभयपक्ष वकील पर मनन किया। प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 जा.दी. व वाद पत्र में वर्णित तथ्यों एव संलग्न दस्तावेजातों का अवलोकन किया। संलग्न दस्तावेजात राजस्व जमाबंदी संवत 2075-78 ग्राम मूण्डघिस्या के खाता सं. नया 102 पुराना 85 एवं खाता सं. नया 131 पुराना 83 में प्रतिवादीगण सं. 01 व 02 खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। जिससे प्रकट होता है कि वादपत्र में वर्णित भूमि वादग्रस्त के प्रतिवादीगण ही रिकार्डेड काबिज काश्त खातेदार हैं। वादी द्वारा दावा स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया गया है। विधिक प्रावधानों के अनुसार केवल रिकार्डेड खातेदार ही स्थायी निषेधाज्ञा का वाद दायर कर सकता है तथा विवादित भूमि पर वादी का स्वामित्व होना आवश्यक है। परन्तु वादी वादग्रस्त भूमि का रिकार्डेड खातेदार नहीं है तथा वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि पर कब्जे काश्त बावत कोई प्रमाणित दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे वादी वाद प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 जा.दी. से प्रभावित होता है तथा यह प्रतीत होता है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद विधिक

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

Scanned with CamScanner

explained

प्रावधानों के विपरीत होने के कारण चलने योग्य नहीं है। उपरोक्त विवेचन से प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 जा.दी. स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 जा.दी. स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत वाद दावा स्थायी निषेधाज्ञा विधि विरूद्ध होने से आदेश 07 नियम 11 की श्रेणी में आने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया।

(नीरज कुमार मीणा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई